न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
परिवाद संख्या : 10/2019
निर्णय दिनांक : 10.07.2019

1. श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी स्व श्री प्रेम प्रकाश शर्मा उम्र 65 वर्ष जाति जागिड निवासी प्लांट नम्बर 3 जगदीशपुरी जगतपुरा जयपुर राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. जगदीश शर्मा पुत्र स्व श्री प्रेम प्रकाश शर्मा
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जगदीश शर्मा
3. समस्त जाति जागिड निवासी प्लांट नम्बर 3 जगदीशपुरी जगतपुरा जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) (क) वरिष्ठ नागरिकों व माता–पिता को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

परिवाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक विधवा व 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तथा प्रार्थीया अपने उक्त पते पर शांतिपूर्ण निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की बहु है। जो प्रार्थीया को हमेशा परेशान करते रहते है। प्रार्थीया के तीन पुत्र व एक पुत्री थे। जिसमें से एक जवित है जो अप्रार्थी संख्या 1 है तथा प्रार्थीया का बडा पुत्र वेदप्रकाश व छोटा पुत्र दिनेश की मृत्यु हो चुकी है जो अविवाहित थे तथा पुत्री का विवाह हो गया है जो अपने ससुराल में राजीखुसी है। प्रार्थीया ने अपने काढी कमाई से सिलाई मजदूरी करके पैसो को जैसे कैसे इकठठा करके एक प्लांट संख्या 3 जगदीशपुरी जगतपुरा जयपुर को श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल से खरीदा था। जिसमें प्रार्थीया ने सिलाई की मजदूरी करके रूपयों का इतजाम करके दो मंजिला भवन बना लिया जिसमें तीन कमरे नीचे व तीन कमरे ऊपर है। प्रार्थीया के उक्त दो मंजिल भवर पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन लडाई झगडा करके अकेले कब्जा करने पर आमादा है तथा प्रार्थीया के उक्त प्लांट में वर्णित 5 कमरों पर जबरन कब्जा कर रखा है। जिसमें से प्रार्थीया ने बमुश्किल एक कमरा अपने लिये बचा रखा है किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीया को ना तो समय पर खाना देते है और ना ही समय पर इलाज करवाते है और ना ही कपडे आदि की सुविधा उपलब्ध कराते है और ना ही खर्चा देते है तथा प्रार्थीया को उक्त दो मंजिला भवन से जबरन बेदखल कस्ने को आमादा है। दिनांक 11.03.2019 को सुबह 9 बजे के लगभग प्रार्थीया की बहु अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया को गाली गलौच करने लगी और कहने लगे कि तेरा यहां क्या लेना देना है तेरे पति को खत्म हो गया अभी तू भी यहा से निकल तू तो हरिद्वार जाकर बस जा या फिर कुम्भ के मेले में चली जा अगर तू यहां से नही गयी तो हम तुझे वृद्धा आश्रम भेजे देगे और गन्दी–गन्दी गालिया देने लगी। प्रार्थीया ने अप्राथी संख्या 1 को आवाज देकर बुलाया और अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में बताया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने भी प्रार्थीया के साथ गाली गलौच कर घर से निकालने की धमकी दी वह धक्कामुक्की की जिससे प्रार्थीया गिरती–गिरती बच गयी। उक्त घटना बाबत प्रार्थीया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गयी तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नही की। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को ना तो खर्चा देते है ना ही प्रार्थीया के बीमार हो जाने पर उसका इलाज करवाते है। अप्रार्थी संख्या 1 प्राईवेट कार्य करता है। जिससे वह प्रतिमाह 25000/– रूपये कमाता है। जिसमें से वह एक रूपया भी प्रार्थीया को भरण पोषण बाबत खर्चा नही देता है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण से खर्चा/भरण–पोषण की मांग करती है तो प्रार्थीया से मारपीट करते है तथा प्रार्थीया के क्रय शुद्धा प्लांट से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण को बेदखल करवाये तथा 10000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीया सम्मापूर्वक व शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, इसलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त नहीं हुये। नोटिस पुनः जारी किये गये। दिनांक 15.05.2019 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुये। परन्तु दिनांक 21.06.2019 को प्रार्थीया स्वयं उपस्थित तथा अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। । दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थीया स्वयं एवं बलराम मीना का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्लांट नम्बर 3 जगदीशपुरी जगतपुरा जयपुर जो प्रार्थीया ने अपनी स्वअर्जित आय से ही बनाया, आवास का पूर्ण स्वामित्व प्रार्थीया के पास है जोकि अप्रार्थी की माता है। प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थी उनका भरण–पोषण नही करता है तथा उनके साथ दुर्व्यहार करता है। एक पुत्र का दायित्व नही निभाने में असफल रहने के कारण अप्रार्थी को उसके माता–पिता के आवास में रहने का कोई अधिकार नही है।

अतः परिवादी/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) (क) वरिष्ठ नागरिकों व माता–पिता को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण जगदीश शर्मा पुत्र स्व श्री प्रेम प्रकाश शर्मा तथा श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जगदीश शर्मा प्रार्थीया/परिवादी के प्लांट नम्बर 3 जगदीशपुरी जगतपुरा जयपुर राज0 से बेदखल किया जाता हैं थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह अप्रार्थीगण जगदीश शर्मा पुत्र स्व श्री प्रेम प्रकाश शर्मा तथा श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जगदीश शर्मा से प्रार्थीया का मकान एक माह मे खाली करवाकर कब्जा परिवादी को सम्भलाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न करने व शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातनायें नहीं देने हेतू पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner